ISSN 2348-3857

16 वीं लोकसभा निर्वाचन (2014) और मतदान व्यवहार

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

बबीता चौधरी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

लोकतंत्र व निर्वाचन अन्योन्याश्रित हैं। भारत में निर्वाचन का प्रारम्भ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन 1892 के इंडियन कौंसिल एक्ट से ही हो गया था लेकिन यहां के नागरिकों को पूर्ण वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता के पश्चात ही मिला। तब से लेकर अब तक सम्पन्न 16 आम चुनावों में वयस्क मताधिकार पर्याप्त उतार-चढ़ाव देखता हुआ स्वयं भी वयस्क हो गया है। भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद मतदान व्यवहार के अध्ययन को विकसित देशों संयुक्त राज्य अमेरिका आदि से प्रेरित होकर अपनाया । तत्पश्चात् 1967 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के एकछत्र राज का अन्त व 1977 में भारतीय राजनीति में अस्थिरता, 1989 में गठबंधन राजनीति के उदय से चुनाव अध्ययन को बल मिला। मतदाता जो कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, करिश्माई नेताओं आदि कारकों की ओर आकर्षित होकर अब तक अपने मत का प्रयोग करता रहा, 16वी लोकसभा चुनाव में मतदाता विशेषकर महिलाओं, युवाओं ने एकतरफ जहाँ बढ़-चढ़कर चुनाव में भाग लिया, अपने मत के मूल्य को पहचाना, वहीं जातीय व धार्मिक समीकरणों को नकार कर विकास, सुदृढ़ नेतृत्व, भ्रष्टाचार, मंहगाई आदि मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग किया। पांरपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए एक परिपक्व लोकतंत्र के नागरिक होने का परिचय दिया।

लोकतंत्र में शासनिक गुणवत्ता तथा सांविधानिक विन्यास की दृष्टि से निर्वाचकीय रीति-नीति और संगठन का अपरिमित महत्व है। निर्वाचन पद्धति आधुनिक लोकतंत्रों की शास्ता भी है और सहचर भी । वह एक संस्थानात्मक कर्मशाला है, जिसमें राजनीति के साँचे तैयार होते हैं और इन साँचों में ढलकर जनमत की शासन- प्रतिमा का निर्माण ही नहीं होता, उसका रूप भी बनता बिगडता हैं।

राजनीतिक प्रक्रमों में लोकमत का उत्थान एक निर्णायक तत्व रहा है। लोकमत के प्रभाव से निर्वाचकों का राजनीतिकरण और राजनीति का लोकतंत्रीकरण हुआ है। कोई प्रणाली कैसे कार्य करती है या सर्वसाधारण अथवा विशिष्ट वर्गो का इसमें भाग लेना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है, और उनका संकल्प कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका निर्वाचन एक महत्वपूर्ण माध्यम समझा जाता है।[1] निर्वाचन के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रह सकता तथा जहॉ लोकतंत्र न हो वहां निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के लिए है। लोकतंत्र एक शासन पद्धति मात्र नहीं, वह एक जीवन दर्शन भी हैं। क्योकि निर्वाचन लोकतंत्र से अनिवार्यत: सबंद्ध है, और लोकतंत्र सुनिश्चित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है, अत: निर्वाचन पर मूल्यों की धारणा का स्वत: आरोप हो जाता है। निर्वाचन, लोकतंत्र व मूल्य, एक ही प्रक्रिया के विशिष्ट चरण है। लोकतंत्र निर्वाचन का ही वरदान है, तथा मूल्यों का महत्व तभी तक है जब तक कि लोकतंत्र का अस्तित्व है। इस प्रकार निर्वाचन बीज है, लोकतंत्र भूमि है और मूल्य फल है। निर्वाचन न तो मूल्यों का सर्जक है और न ही परिपोषक: तथापि वह मूल्यों की व्यवस्था का एक भाग हैं लोकतंत्र मूल्यों के लिए अस्तित्व में आता है और निर्वाचन लोकतंत्र का प्रसव करता है।[2]

आज भारत वर्ष को विश्व का एक ऐसा सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है जिसे लोकतांत्रिक निर्वाचनों का व्यापक और गहन अनुभव है। यद्यपि 'वयस्क मताधिकार' पर आधारित निर्वाचन हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद ही अपनाए गए है, किन्तु इससे पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन भी भारत में निर्वाचन का प्रारम्भ चाहे सीमित अर्थ में ही सही, किसी न किसी रूप में हो गया था। भारतीय राजनीति में निर्वाचन का प्रारम्भ,

1892 के इण्डियन कौंसिल एक्ट से हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार यहां के नागरिकों को स्वतंत्रता के पश्चात नवीन संविधान अंगीकार होने के बाद ही मिला। तब से लेकर अब तक सम्पन्न 16 आम चुनावों में 'वयस्क मताधिकार' पर्याप्त उतार-चढ़ाव देखता हुआ स्वयं भी वयस्क हो गया हैं।[3]

मतदाता व मतदान व्यवहार

मतदान व्यवहार का आशय है कि मतदाता अपने म ताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता हैं। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व उसे इस सम्बन्ध में निरूत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी।

हमारे देश के नागरिक अपनी सरकार का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 19(1) 'ए' द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रभाव से करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से अलग, मतदानाधिकार 'जिसे लोग प्राय: मताधिकार कहते है' अपने आप में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (एक) 'ए' में प्रत्याभूत अधिकार का एक भाग है, जबकि मतदाता बनने का अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है।[4]

भारत में मतदान व्यवहार

भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद मतदान व्यवहार के अध्ययन को अपनाया गया। भारत में निर्वाचन अध्ययन के चलन का क्रमिक विकास वास्तविक रूप से लोकसभा व विधानसभा चुनावों का परिणाम है। सैद्धान्तिक रूप से निर्वाचन अध्ययन का विकास विकसित देशों के प्रभाव से हुआ है। विशेष तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर भारत में निर्वाचन अध्ययन की नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन कोलम्बिया व मिशिगन के अध्ययनों से प्रभावित हुआ। दल परिचय चुनावी मुद्दे, प्रत्याशी, चुनाव अभियान, मतदाताओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर और अन्य क्षेत्र मतदान व्यवहार के अध्ययन के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएँ कुछ अद्भुत तत्व हैं जैसे -'जाति' निर्वाचन अध्ययन की अद्वितीय विशेषता है ।

लोकसभा व विधानसभा चुनाव 1967 के चुनाव तक एकदलीय प्रभुत्व रहा। केन्द्र में कांग्रेस की 'एकदलीय शासन प्रणाली' के प्रभुत्व को 1967 में झटका लगा। जब पहली बार कांग्रेस ने केन्द्र व अनेक राज्यो में गतिरोध का सामना किया। केन्द्र में सतारूढ़ दल में परिवर्तन किया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार काग्रेस पार्टी अस्थिर हुई तथा सतारूढ दल के परिवर्तन की संभावना बढ गई। उस समय चुनावों ने अनेक राजनीति वैज्ञानिकों व पत्रकारों को आकर्षित किया। इसका परिणाम चुनावी अध्ययन का दौर प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार 1967 के बाद निर्वाचन अध्ययन तीव्रता से बढा। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी अस्थिरता की ओर थी। आपातकाल 1977 के अन्त तक रहा जब कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही थी, पहली बार केन्द्र में लोकसभा चुनाव हारी। 1967 से 1977 के बीच की अवधि में भारतीय राजनीति में अस्थिरता बढी और मौलिक रूपांतरण भी हुआ। भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक जडों में भी परिवर्तन आया। अभी तक दलित लोगों जैसे -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग ने दृढतापूर्वक अपने को परिभाषित करना शुरू कर दिया। सामाजिक संघर्ष व राजनीतिक अस्थिरता बढी। यह युग रूपातंरण का था इसमें सतारूढ दल की शासन क्षमता का क्षय हो गया । धीरे -धीरे इस रूपांतरण की प्रक्रिया के बाद भारतीय राजनीति नये वतावरण से अभ्यस्त होने लगी। बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ । 1980 के अंत तक केन्द्र में गठबंधन सरकार का गठन हुआ । 1989 में एक बार पुन: शोधार्थियों की दलीय राजनीति व चुनावों के अध्ययन में रूचि बढी, चुनाव अध्ययन का दूसरा चरण था। गठबंधन राजनीति का उदय दल के संरचना का रूपांतरण ने शोधार्थियों को चुनावी राजनीति की ओर आकर्षित किया। शोध कार्य तीव्र हुआ पुन: अनेक निर्वाचन अध्ययन दृष्टिगत हुए। प्रमुख अध्ययन निम्नलिखित हैं -रजनी कोठारी 1960, ऐल्किन 1975, दासगुप्ता और मौरिस जोन्स 1975, वीनर 1977, ब्लेयर 1979, 1990, 1973, ब्रास 1980 और1993, दीक्षित 1995, छिब्बर और नरूदीन 1999, कोन्डो 2003, चन्द्रा 2004, लामा रिवाल 2005 इत्यादि।[5]

भारत के बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक लोकतांत्रिक ढांचे में मतदान व्यवहार कई जटिल मुद्दों से तय होता है। समय के साथ-साथ यह सिद्ध हुआ है कि भारत के राजनीतिक दल जनता का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए किसी कारक विशेष विश्वास नहीं कर सकते।

ISSN 2348-3857

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं - जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा, सत्ता विरोधी कारक (Anti Incumbency Factor), करिश्माई नेता, राजनैतिक दलो की विचारधारा, विकास, तात्कालिक घटनाएं, आर्थिक कारक, चुनावों के समय राजनीतिक दलों की सभाएँ, स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक दलों की भूमिका, रा. स्थिरता और सुदृढ़ सरकार, पर्यावरणीय मुद्दे।

16 वीं लोकसभा (आम चुनाव 2014)

वर्ष 2014 के आम चुनाव में 543 सदस्यीय लोकसभा में अकेले भाजपा ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चुनाव में 336 सीटों पर कैंजा किया। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए को मात्र 58 सीटें हासिल हुई जिसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं। इस चुनाव ने करूणानिधि की डीएमके, अजीत सिंह की रालोद और मायावती की बसपा को इस हाल में पहुंचा दिया कि उनके राजनीतिक अस्तित्व सवालों के घेरे में हैं।

चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल,उम्मीदवारों और म तदाताओं की संख्या

16वें आम चुनाव में 464 राजनीतिक दलों ने भागीदारी की। इनमें 6 राष्ट्रीय दल, 39 राज्य स्तरीय दल और 419 गैर मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं। आम चुनाव 2014 में 543 सीटों के लिए 8251 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, और मतदाताओं की कुल संख्या 83,41,01,479 थी।

मतदान प्रतिशत

प्रथम आम चुनाव 1952 में मतदान प्रतिशत 61.16 प्रतिशत था। आम चुनाव 2014 में मतदान करने वाले मतदाताओं के 66.38 प्रतिशत होने के फलस्वरूप भारत में अब तक के सर्वाधिक मत पड़े हैं। पिछली बार 1984 में 64.01 प्रतिशत का सर्वाधिक मतदान हुआ था। 2009 के पिछले आम चुनाव में 58.19 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। 2014 में 65.3 प्रतिशत महिला तथा 67.09 प्रतिशत पुरूष मतदाता थे।

लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत

वर्ष	मतदान प्रतिशत
1952	61.16
1957	63.73
1962	55.42
1967	61.33
1971	55.27
1977	60.29
1980	56.92
1984	64.01
1989	61.95
1991	55.88
1996	57.94
1998	61.97
1999	59.99
2004	58.07
2009	58.90
2014	66.38

चुनावी मुद्दे व मतदान व्यवहार

वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ अहम मुद्दे उभर कर आए जिसने जनता की सोच को और मतदान के पैटर्न को प्रभावित किया। जो निम्नलिखित हैं -

(i) ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए विश्लेषण में भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही गिरावट, रूपये के मूल्य में कमी तथा चालू खाता घाटा को 2013 की मुख्य घटना बतलायी गई। पुन: अवसंरचना में निवेश का आभाव तथा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को भी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत का जिम्मेदार बताया गया क्योंकि सरकार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी मुहैय्या कराए। पुन: ''नीतिगत पक्षाघात''(Policy Paralysis) तथा नौकरशाही की अकर्मण्यता को भी अर्थव्यवस्था की खराब हालत का जिम्मेदार बताया गया। स्पष्ट जनादेश न मिलने की स्थिति में देश में सोने की कीमतों में बढोतरी की आशंका बनी हुई थी एवं किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं ने भी लोगों को काफी हद तक प्रभावित कर रखा था।

(ii) यूपीए II की सरकार के दौरान हुए कई घोटाले एवं सरकार की गिरती साख भी आम चुनाव 2014 में मुख्य मुद्दा रहा। इन घोटालो में कोयला घोटाला, 2जी घोटाला, कामनवेल्थ खेल घोटाला तथा काले धन की वापसी की मांग मुख्य मुद्दों के रूप में छाए रहे। 2011 में 'इंडिया अंगेस्ट करप्शन' आंदोलन अन्ना हजारे द्वारा शुरू किया गया था। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की एक मुहिम चली जिसने समूचे देश को आंदोलित किया और यह 2014 के आम चुनाव की एक वृहद पृष्ठभूमि बनी।

(iii) यूपीए II के दौरान प्याज के दामों में वृद्धि तथा अन्य खाद्य पदार्थो में हो रही लगातार वृद्धि भी चर्चा के विषय रहे। 16 वीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्देशित मुद्रास्फीति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी जो लोगों की उम्मीदों से काफी अधिक थी। औद्योगिक उत्पादन में

आश्चर्यजनक गिरावट आई थी जो एक विरोधाभास था जिसने अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत एवं आर्थिक संवृद्धि में गिरावट को उजागर किया।

(iv) 30 जुलाई, 2013 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा तेलंगाना राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति द्वारा इसका स्वागत किया गया। वाईएसआर कांग्रेस दल के नेता जगमोहन रेडी द्वारा इस निर्णय का विरोध किया गया। फरवरी 2014 में आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण कुमार रेड्डी द्वारा इस्तीफा देकर तेलंगाना राज्य के निर्माण के प्रति विरोध प्रकट किया गया। इस तरह तेलंगाना मुद्दे पर राजनीतिक दलों के विरोधी विचारों से यह एक मुख्य चुनावी मुद्दे के रूप में उभर कर आया।

(v) यूपीए के खिलाफ एंटी इनकबेंसी फैक्टर (Anti Incumbency Factor) अपने चरम पर था जो 1951-52 के प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद कभी नहीं देखा गया।

(vi) इस बार राज्य विशेष का विकास मॉडल समूचे देश के लिए एक मानक बन कर उभरा। यह राज्य कोई और नहीं बल्कि गुजरात था। इस राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो पिछले तीन चुनावों में जीत हासिल कर वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया और चुनाव अभियान की कमान भी उन्हीं ने संभाली।

(vii) मोदी का चुनाव प्रचार इतिहास का सबसे बडा जनसंपर्क अभियान था। मोदी के चुनाव प्रचार एवं स्टाइल की तुलना ओबामा के चुनाव अभियान से किये जाने लगी था । मोदी ने इस दौरान अनेक जनसभाओं को संबोधित किया, 3 डी रैलियों में हिस्सा लिया, 'चायचर्चा' कार्यक्रम का आयोजन किया तथा देश की जनता से 10 वादे किए जो कालेधन कर वापसी, वाराणसी का कायाकल्प, नदियों को जोडना, बुलेट ट्रेन, 100 नये शहर, भ्रष्टाचार का खात्मा, मंहगाई में कमी, सबके लिए घर, पटना-रांची का विकास तथा मछुआरों की रक्षा शामिल थे।

(viii) इस चुनाव में मुस्लिम भी मोदी के साथ रहे जबकी मोदी की छवि को मुस्लिम विराधी के रूप में पेश किया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्द अहमद बुखारी ने समर्थन की घोषणा करते हुए मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने को कहा था लेकिन उनकी अपील कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। यहाँ तक कि कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। मतदाताओं ने उलेमा और मुस्लिम पार्टियों की अपील को पूरी तरह नकार दिया।

(ix) युवाओं ने उत्साह से वोट किया लेकिन किसी से जुड़कर नहीं और पारम्परिक धारणाओं को तोडते हुए स्पष्ट जनादेश हासिल कराने में महत्वपुर्ण भूमिका निभाते नजर आए।

(x) उत्तरप्रदेश मे पहली बार जातियों से जुड़ी राजनीति को नकारा गया।

(xi) जिन राज्यों में महिला वोटर बढ़ी वहाँ भाजपा को भारी फायदा हुआ जैसे गोवा, राजस्थान एवं झारखण्ड, छतीसगढ़ एवं दिल्ली।

(xii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास 2014 के आम चुनाव में काफी सहायक साबित हुआ। नये संचार माध्यमों का विकास सरकार एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर किया गया, फेसबुक इंडिया ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ''इडिया इलेक्शन ट्रेकर'' लांच किया इसके जरिए लोग उम्मीदवारों की चुनावी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। फेसबुक ने 'फेसबुक टाक्स लाइव' की शुरूआत की।[7]

निष्कर्ष

2014 के आम चुनावों में लोगों को लगा कि मोदी अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, मजबूत सरकार दे सकते है, समयानुकूल निर्णय ले सकते है। हिन्दी प्रदेश के लोगों ने जाति और मजहबी समीकरणो को नकार दिया। पिछले कुछएक दशक से मजहब और जातीय राजनीति की वजह से देश की एकता, अखंडता और जातिय सुरक्षा प्रति जो जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार के पास होनी चाहिए, उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप जातीय समीकरण पर आधारित बिहार की जदयू तथा राजद एवं उतरप्रदेश में सपा और बसपा का सोशल इंजीनियरिग बिल्कुल ही धराशायी हो गया।

सन्दर्भ सूची

1. कश्यप, डॉ. सुभाष, विदेशों में निर्वाचन-विधि और व्यवहार, 1972
2. शर्मा, अशोक, भारत में लोकतत्र और निर्वाचन, 1998, पृ. 17
3. उपर्युक्त, पृ. 6
4. रंजन, राजीव, चुनाव, लोकसभा व राजनीति, 2002, पृ. 15
5. नॉरिओ कॉन्डो, साउथ एशिया ग्रुप, एरिया स्टडीज सेन्टर, इलेक्शन इन इन्डिया, मार्च 2007, पृ. 4
6. www.eci.nic.in
7. www.rstv.nic.in